न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

प्रकरण सं0 : 50/2023

अनवान :

चेतन्या पुत्री संदीप जाति जाट निवासी रासलाना नाबालिग जरिये वली कुदरती माता रामकला पत्नी सन्दीप जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।

:– **प्रार्थी**

बनाम

1. गोपीराम पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2. सन्दीप पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
3. राजेश पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
4. प्रमिला पुत्री गोपीराम पत्नी सुरेश कुमार कस्वा जाति जाट निवासी रासलाना हाल निवासी पंडरेउ टीबा तहसील तारानगर जिला चुरू।
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबंधक भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:– **अप्रार्थीगण**

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री अमीत देहडू – **प्रार्थी**

वकील श्री सुनील बैनीवाल – **अप्रार्थीगण 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 23.02.24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 84/147 के खसरा सं0 180 की 11.040है0, ख0सं0 247 की 0.7330है0 कुल खसरा 2 की 11.7730है0 वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थीया के दादा अप्रार्थी सं0 1 गोपीराम के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज है।

उक्त वादभूमि प्रार्थीया के परदादा फुलाराम की हुआ करती थी जो उनकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 गोपीराम के नाम दर्ज हो गई। वादभूमि पैतृक व दादालाई है जिसमें अप्रार्थी सं0 1 के साथ प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं0 2 ता 4 का भी हक हिस्सा है। अप्रार्थी सं0 1 वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी सं0 1 अपने नाम दर्ज वादभूमि को रहन, बैय या मुन्तकिल कर देता है तो प्रार्थीया को नापुरा होने वाली नुकसान होगा। अतः प्रार्थीया अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह ताफैसला वाद वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ता 3 जरिए वकील हाजिर आए। वकील प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं0 4 ता 6 को तर्क अंकिकत किया। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन किया कि प्रार्थीया व उसकी माता ने महज अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए हस्तगत दावा पेश किया है। जबकि प्रार्थीया व उसकी माता द्वारा प्रार्थी सं0 2 के साथ पंचायती राजीनामा में सहमति से तलाक हो गया तथा दोनो ने अपना अपना जीवन भर का भरण पोषण एकमुश्त प्राप्त कर लिया है। प्रार्थीया की माता तथा पिता प्रार्थी सं0 2 की तलाक याचिका रामकला बनाम संदीप याचिका सं0 11/2023 पेश कर रखी है जो जैरकार है। प्रार्थीया अभी वहुत छोटी है तथा अपना भला बुरा सोचने में समर्थ नहीं है प्रार्थीया की माता प्रार्थीया की आड में कृषि भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज करवाकर विक्रय करना चाहती है। प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा ना ही प्रार्थीया का वाद भूमि पर कोई कब्जा है, प्रार्थीया कानूनन अपने दादा के नाम दर्ज कृषि भूमि में से हिस्सा की मांग नहीं कर सकती है। कानूनन प्रार्थीया केवल अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। प्रार्थीया ने अर्जीदावा में अप्रार्थी सं0 2 संदीप कुमार का 1/15 हिस्सा होना गलत दर्ज किया है। अप्रार्थी सं0 2 का विवादित कृषि भूमि में 1/20 हिस्सा बनता है। इस प्रकार प्रार्थीया 1/15 हिस्सा में से अपना हिस्सा घोषित करवा पाने की कानूनी अधिकारी नहीं है।

Preetam
सहायक कलक्टर
भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी में किसी भी श्रेणी की खातेदार नहीं है व प्रार्थीया का वाद भूमि पर कोई कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वादभूमि प्रार्थीया के परदादा फुलाराम की हुआ करती थी जो उनकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 गोपीराम के नाम दर्ज हो गइ। वादभूमि पैतृक व दादालाई है जिसमें अप्रार्थी सं0 1 के साथ प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं0 2 ता 4 का भी हक हिस्सा है। अप्रार्थी सं0 1 वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी सं0 1 अपने नाम दर्ज वादभूमि को रहन, बैय या मुन्तकिल कर देता है तो प्रार्थीया को नापुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थीया अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह ताफैसला वाद वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत के रूप में आरआरडी 1982 पेश किया।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थीया व उसकी माता ने महज अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए हस्तगत दावा पेश किया है। जबकि प्रार्थीया व उसकी माता द्वारा प्रार्थी सं0 2 के साथ पंचायती राजीनामा में सहमति से तलाक हो गया तथा दोनो ने अपना अपना जीवन भर का भरण पोषण एकमुश्त प्राप्त कर लिया है। प्रार्थीया की माता तथा पिता प्रार्थी सं0 2 की तलाक याचिका रामकला बनाम संदीप याचिका सं0 11/2023 पेश कर रखी है जो जैरकार है। प्रार्थीया अभी बहुत छोटी है तथा अपना भला बुरा सोचने में समर्थ नहीं है प्रार्थीया की माता प्रार्थीया की आड में कृषि भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज करवाकर विक्रय करना चाहती है। प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा ना ही प्रार्थीया का वाद भूमि पर कोई कब्जा है, प्रार्थीया कानूनन अपने दादा के नाम दर्ज कृषि भूमि में से हिस्सा की मांग नहीं कर सकती है। कानूनन प्रार्थीया केवल अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। प्रार्थीया ने अर्जीदावा में अप्रार्थी सं0 2 संदीप कुमार का 1/15 हिस्सा होना गलत दर्ज किया है। अप्रार्थी सं0 2 का विवादित कृषि भूमि में 1/20 हिस्सा बनता है। इस प्रकार प्रार्थीया 1/15 हिस्सा में से अपना हिस्सा घोषित करवा पाने की कानूनी अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी में किसी भी श्रेणी की खातेदार नहीं है व प्रार्थीया का वाद भूमि पर कोई कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टांत के रूप में 2009(1)आरआरटी 162, 2021(2) आरआरटी 1238 पेश की।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में सायला ने गैरसायल को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया है एवं प्रकरण के निस्तारण हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति पर विचार करना है :–

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है चूंकि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थीया विवादित आराजी का किसी भी हैसियत से काश्तकार नहीं है न ही उसे कोई कानूनी हक प्राप्त है। इससे प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के विरूद्ध सिद्ध होता है क्योंकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थीया द्वारा अपने दादा की सम्पति में हक हिस्सा चाहा गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के खिलाफ व गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

(फास्ट ट्रेक) भादरा(हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो सायला को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि प्रार्थीया न तो रेकॉर्डेट खातेदार है न ही भूमि प्रार्थीया के कब्जे में है और उसके पक्ष में निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो गैरसायलान अपनी खातेदारी भूमि के नियमित उपयोग उपभोग से वंचित होगे। इस प्रकार सुविधा का संतुलन बिन्दु भी सायला के खिलाफ प्रतित होता है जबकि गैरसायलान के पक्ष में साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीया के विरूद्व साबित हुए है। प्रार्थीया का उक्त वादभूमि में किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त व अपने हक अधिकार होने का तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः उक्त बिन्दू भी प्रार्थीया के खिलाफ साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायला का प्रार्थना–पत्र के तीनों बिन्दू कमशः प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के विरूद्व व गैरसायल के पक्ष में साबित होना पाया जाता है। उपरोक्त तीनों बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.02.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Preetam

(प्रीतम कुमार) I.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner